रजस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2001/पौष 10, 1923
No. 650] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2001/PAUSA 10, 1923

LIBRARY

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 933(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 के नियम 8 के उपनियम (2) में "चौदह सौ पचास रुपए प्रति वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार हजार सात सौ सोलह रुपये प्रति वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार की सिफारिशों पर तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन का 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार नियमों का 1 जनवरी, 1996 के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है

[सं. ए-11014/12/99-ए टी]
प्रदीप के. देब, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. 756 (अ), तारीख 29 जून, 1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

(1) सा०का०नि० 1047(अ), तारीख 13-12-1989

(2) सा०का०नि० 47(अ), तारीख 31-1-1994

(3) सा०का०नि० 746(अ), तारीख 16-12-1998

(4) सा०का०नि० 302(अ), तारीख 27-4-2001

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

G.S.R. 933(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Second Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In rule 8 of the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, in sub-rule (2), for the words "rupees one thousand four hundred and fifty per annum", the words "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government, on the recommendations of the Government of Tamil Nadu has decided to revise the pension of Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 1996. Accordingly, the rules are being amended retrospectively with effect from 1st January, 1996. It is certified that no Member of the Tamil Nadu Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

[No. A. 11014/12/99-AT]
PRADEEP K. DEB, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal rules were notified vide number G.S.R. 756(E), dated the 29th June, 1988 and subsequently amended vide number :—

(1) G. S. R. 1047(E), dated 13-12-1989

(2) G. S. R. 47(E), dated 31-1-1994

(3) G. S. R. 746(E), dated 16-12-1998

(4) G. S. R. 302(E), dated 27-4-2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2508